बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 138459
ग्रा.वि.-7(आ0)-18/2012

पटना, दिनांक 12/02/13

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषयः- **महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत महिला जॉब कार्डधारियों की भागीदारी एवं महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के संबंध में ।**

महाशय,

मनेरगा अधिनियम में यह प्रावधान है कि कुल सृजित किये जानेवाले मानव दिवसों में कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार के अवसर सुनिश्चित किये जायें । राज्य सरकार महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत महिला जॉब कार्डधारियों की बराबर की भागीदारी, महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु कृत संकल्प है ।

2. विदित हो कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत महिला जॉब कार्डधारियों के व्यक्गित रूप से खाता बैंक में खोलवाने तथा तदनुसार MIS में भी प्रविष्टि करने हेतु विभागीय पत्रांक 134715 दिनांक 07.01.2012 द्वारा निर्देश दिया जा चुका है । आशा है कि इस संबंध में आपके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही होगी ।

3. राज्य के जिलों में मनरेगा अंतर्गत महिलाओं की 33 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी, सुनिश्चित करने के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि 8 मार्च 2013 को अन्र्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में महिलाओं की मॉग के सृजन का विशेष शिविर लगाया जाय । इसके पूर्व 5, 6 एवं 7 मार्च को PRS एवं VLE हर वार्ड में घुमकर महिलाओं के जॉब कार्ड आवेदन एवं मॉग आवेदन प्राप्त करेंगे । इसके लिए कालबद्ध कार्यक्रम तैयार कर इसे सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित विशेष दिशा-निर्देश दिये जाते हैं :-

I. जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारियों की बैठक कर के उन्हें महिलाओं के लिए रोजगार मांग सृजन की विशेष जानकारी देंगे ।

II. वे सभी को अवगत करायेंगे कि विधवा, परित्यक्ता तथा नि:सहाय महिलाओं को अधिनियम अन्तर्गत अलग परिवार के रूप में पात्रता प्रदान की गयी है । इन महिलाओं की पहचान कर उनको अलग परिवार के रूप में जॉब कार्ड हेतु निबंधित कर जॉब कार्ड जारी किया जाय ।

III. कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति की विशेष बैठक आहूत करवा कर सभी संबंधित को जानकारी देंगे ।

IV. सभी ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाकर विधवा, परित्यकता तथा नि:सहाय महिलाओं की पहचान करेंगे । जो कि अधिनियम में एक परिवार के रूप में पात्रता है । जो भी महिला मजदूर मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करने की इच्छुक हों उनका आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे ।

V. पंचायत रोजगार सेवक एवं वसुधा केन्द्र के प्रतिनिधि 8 मार्च 2013 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहकर इच्छुक महिलाओं के आवेदन लेकर उन्हें प्राप्ति रसीद देगे और उनके मांग को उसी दिन MIS पर Upload करेंगे । हर पंचायत कार्यालय में 8 मार्च को महिला मनरेगा अधिकार कार्यशाला रखी जाय ।

VI. कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखंड क्षेत्र के समेकित प्रतिवेदन तैयार कर के 10 मार्च तक जिला कार्यक्रम समन्वयक को देगे जो 15 मार्च तक राज्य मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे ।

VII. सुनिश्चित किया जाए कि इस अभियान के दौरान जो भी महिला मजदूर मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करने की इच्छुक हों उन्हें इसकी जानकारी दी जाय । इसके लिए यह आवश्यक होगा कि प्रखंड क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न महिला संगठनों यथा स्वयंसेवी संस्थाओं आदि को व्यापक तौर पर इस विशेष अभियान की जानकारी दी जाय । समाचार पत्र एवं अन्य प्रसार माध्यमों से भी जन साधारण को इस अभियान से अवगत कराया जाय ।

साथ हीं यह भी सुनिश्चित किया जाय कि :-

(क) ऐसी महिलाओं को 100 दिन का रोजगार दिया जाय ।

(ख) गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिला जॉब कार्डधारी के लिए ऐसे विशेष कार्य प्रारंभ किया जाय जिसमें कम प्रयास निहित हो तथा उनके घर के समीप स्थित हों ।

(ग) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सभी कार्य स्थलों पर कम से कम 50 प्रतिशत मेट महिला जॉब कार्डधारी हीं हो । ऐसी जॉब कार्डधारियों महिला कर्मियों को प्राथमिकता दी जाय जिन्होंने स्वयं अथवा उनकी पुत्रियों ने विगत तीन वर्षो के दौरान अधिकतम कार्य किया हो । इसमें से पहली प्राथमिकता नि:सशक्त महिलाओं को दी जाय ।

(घ) यह सुनिश्चित किया जाय कि कार्य स्थल पर शिशुशाला (Crèche), पेय जल, शेड आदि जैसी सुविधाऐं भी मुहैया करायी जाय । ऐसी सुविधाऐं महिला एवं बाल विकास की योजनाओं जैसे कि समेकित बाल विकास योजना (आई0सी0डी0एस0) के अंतर्गत अभिसरन करके उपलब्ध करायी जा सकती है ।

(ङ) मनरेगा कार्यो की आयोजन, क्रियान्वयन, निगरानी, कार्य के संधारण, इनके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा मांग की आकलन करने में महिला समूहों जिसमें स्वयं सहायता समूह भी शामिल हो, प्रोत्साहित किया जाय ।

(च) सक्षम SHGs को मेट का दायित्व दिलाया जाय ।

अत: अनुरोध है कि महिला जॉब कार्डधारियों की भागीदारी, महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।

कृपया, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

8/3/13

(अमृत लाल मीणा)

सचिव